रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261917
CG-DL-E-24032025-261917

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1350] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2025/चैत्र 3, 1947
No. 1350] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2025/CHAITRA 3, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2025

का.आ. 1368(अ).—भारतीय मानक ब्युरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिन्ज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों के सिवाय, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्युरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एत्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को हिन्ज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिश्त वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्युरो (अनुपालन मुल्यंकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II के स्कीम-I के अनुसार ब्युरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात हिन्ज के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, तथा साथ ही यह शर्त होगी कि ऐसी आयातित वस्तुओं और सामानों को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा तथा विनिर्माता ऐसे माल या वस्तुओं का वर्षवार रिकॉर्ड रखेंगे और और अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके अपने लेटर हेड पर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण –** उक्त ब्युरो तालिका में विनिर्दिश्त वस्तुओं या सामानों के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी –** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्युरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हिन्ज	12817:2020	स्टेनलेस स्टील बट हिन्ज	1 जुलाई, 2025
2.		1341:2018	स्टील बट हिन्ज	
3.		205:1992	नॉन-फेरस मेटल बट हिन्ज	
4.		206 :2010	टी एंड स्ट्रैप हिन्ज	
5.		362: 1991	पार्लियामेंट हिन्ज	
6.		3818 :1992	कन्टिन्यूअस (पिआनो) हिन्ज	
7.		3843:1995	स्टील बैक फ्लैप हिन्ज	
8.		453:1993	डबल-एक्टिंग स्प्रिंग हिन्ज	
9.		18297:2023	कैबिनेट हिन्ज	

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्युरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/11/2023– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 21st March, 2025

S.O. 1368(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Hinges (Quality Control) Order, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) This Order may be called the Hinges (Quality Control) Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark. —** Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided also that nothing in this Order shall apply for up to two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of hinges per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish to the Central Government on its letter head duly signed by its authorized signatory.

3. **Certification and enforcement authority**. **—** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for contravention. —** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Hinges	12817:2020	Stainless Steel Butt Hinges	1st July, 2025
2.		1341:2018	Steel Butt Hinges	
3.		205:1992	Non-ferrous metal butt Hinges	
4.		206 :2010	Tee and Strap Hinges	
5.		362: 1991	Parliament Hinges	
6.		3818 :1992	Continuous (Piano) Hinges	
7.		3843:1995	Steel back flap Hinges	
8.		453:1993	Double-acting Spring Hinges	
9.		18297:2023	Cabinet Hinges	

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/11/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.03.24 21:35:20 +05'30'